आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वास्ते तलबी दि. 16.04.2021 को पेश हो तलबाना सम्मन आवश्यक रूप से पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 16–04–2021

आज पत्रावली पेश हुई। वादिया व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा वादिया को बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हे इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादिया अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद को चलाना नहीं चाहती है।

अतः वादिया का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

वकील प्रार्थी ने अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा का सहखातेदार है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।